

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 809]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937

No. 809]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSA 1, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 996(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड-3 उपखंड (i) में सा.का.नि. 97(अ) द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की दिनांक 17 फरवरी, 2011 की अधिसूचना में व्यापार चिन्ह और भौगोलिक संकेत परीक्षक पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं से संबंधित पृष्ठ संख्या 25 पर कॉलम 8 में :—

(ii) न्यायालय मामलों और अन्य विधिक मामलों को निपटाने या व्यापार चिन्ह और भौगोलिक संकेतों से संबंधित मामले निपटाने का 2 वर्ष का अनुभव ।

के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए :

(ii) न्यायालय मामलों और अन्य विधिक मामलों को निपटाने अथवा व्यापार चिन्ह या भौगोलिक संकेतों से संबंधित मामले निपटाने का 2 वर्ष का अनुभव ।

[फा. सं. 8/16/2005—आईपीआर—I]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st December, 2015

G.S.R. 996(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion dated 17th February, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R. 97(E), on page number 25 under column (8) relating to Educational and other qualifications required for direct recruits for the post of Examiner of Trade Marks and Geographical Indications :—

Instead of :

- (ii) two years experience in handling Court cases and other legal matters or in handling matters of Trade Marks and Geographical Indications.

Read as :

- (ii) two years experience in handling Court cases and other legal matters or in handling matters of Trade Marks or Geographical Indications.

[F. No. 8/16/2005-IPR-I]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.